मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

...

ज्ञा प न

क्रमांक ४२० : १०१६:१:३: भोपाल, दिनांक ६ जून, १९६६

प्रति,

शासन के सर्व विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म० प्र०,
सर्व संभागीय आयुक्त,
सर्व विभागाध्यक्ष,
सर्व कलेक्टर,

विषय:- शासकीय सेवकों व्दारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेने देन करने के संबंध में अनुदेश।

...

शासन के समक्ष कुछ प्रकरण इस प्रकार के आये हैं जिसमें राज्य शासन के अधिकारियों व्दारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के मार्फत जंगम :moveable: संपत्ति का लेन देन किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को नियमित यह ख्याती प्राप्त व्यापारी नहीं माना जा ~~सक~~ सकता। मध्य प्रदेश सिविल सेवा :आचरण: नियम, १९६५ के नियम १६:३: के अनुसार यदि कोई शासकीय सेवक जंगम संपत्ति का लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय (official) संव्यवहार हो, या वह नियमित या ख्याती प्राप्त व्यापारी न हो, तो उसे विहित अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम एवं व्दितीय श्रेणी अधिकारी के मामले में १००० रू० से अधिक हो, और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में ५०० रू० से अधिक हो।

२. वैसे भी किसी अधिकारी के लिये अपने अधीनस्थ कर्मचारी अथवा अधिकारी के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन करना अच्छी बात नहीं है, चाहे उसका मूल्य कितना भी हो, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन करने से शासकीय अधिकारी जनता की अलोचना का शिकार होता है कि उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग किया है। अत: शासन यह अनुदेश देता है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले शासकीय सेवक के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन न करे। यदि किसी समय इस प्रकार का लेन देन करना जरूरी हो, तो उसे उक्त नियम की व्याख्या क्रमांक :दो: में उल्लिखित विहित प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति ले लेनी चाहिये।

कृ० पृ० उ०

३. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस अनुदेश का दृढतापूर्वक पालन करने के लिये निदेश जारी करें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(म० श० सिंहदेव)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक ४२१ : १०१६:१:३: भोपाल, दिनांक ६ जून, १९६६

इसकी प्रति,

:१: निबंधक, उच्च न्यायालय, म० प्र० जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, म० प्र० इन्दौर
सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल

:२: मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

:३: स्थापना अधिकारी, । पंजीयक । लेखाधिकारी, म० प्र० सचिवालय

:४: विशेष आयुक्त म० प्र० २ कौटिल्य लेन, न्यू दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित ।

: नागेन्द्र मोहन व्यास :
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग